

२२/३/२०२३

C.No. ०३/२०२३ सनता vs कालु

वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्तु पत्रावली
की अपेक्षित सुनवाई वास्तु पत्र करने तथा हमारे
द्वारा न्यायिकतम उपर्युक्त प्र. पत्र स्वीकार करने

सनता

पटवामरुली

पुणे जिल्हा न्यायालय
कोर्टाची सेवा
एन.



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
नम्बर अहकाम
जो इस हुक्म
की तामिल में
जारी

C.No. 03/2020 सनवा १५ फाल्गु

से पत्रवली मिमत तिया से पूर्व आज तलब
की गई वधिना की ओल वकील श्री योगेश शर्मा
उपस्थित होकर वकालतनामा तथा एक प्रणपत्र वास्त
प्रकरण को विशेष फरमाने की अनुमति देते बाबत
श्री जेम्स के. मिसेज किता कि प्रकरण में वधिना व
प्रतिवादीगण के मध्य शरीनामा हो चुका है तथा उन्ही
के अनुयाय वे तल्लीबध्न अरारि के समझ शरीनामे से
होत्वारा करवाना चाहते हैं तथा हस्तगत प्रकरण को
पुनः वाड सेचित करने की अनुमति के साथ विडा
करवाना चाहते हैं। हमारे द्वारा वकील वाडी को सुना
गया। आपस में वकील वाडी द्वारा पत्रे ज-पत्र
वास्त शरीनामा चीजा किता जाता है तथा प्रकरण
को इसी स्तर पर इस आशय से खारिज किता
जाता है कि यदि प्रतिवादीगण द्वारा सहमति होत्वारा
नही कावादा गदा तो वधिना पुनः वाड सेचित कर
सकती है। पत्रवली फैनल शुमार होकर नम्बर
से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
अरारि (अजमेर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
जो इस हुक्म की तामिल में जारी